

1. सुरक्षा उपकरणों जैसे: कटिंग डस्कि के लिए प्रोटेक्टर इत्यादि के बनिा वहनीय इलैक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग करना वर्जित है।
2. मशीन उपकरणों से सुरक्षा उपकरणों (माइक्रोस्वचि, प्रोटेक्टर) को अलग करना और/ अथवा अक्षम करना वर्जित है।

लफिटिंग

1. “ठेकदार -बैग” को झुलाने या घुमाने पर पूर्ण परतब्धि है।
2. केवल योग्य दुवारा ही लोड को बांधा या छोड़ा जाएगा।

ऊंचाई पर कार्य

1. किसी कार्य की परभाषा में वह कार्यस्थल भी शामिल है जहां कोई कर्मचारी दो मीटर की अधिक ऊंचाई से गिर सकता है।
2. ऊंचाई पर कार्य वही लोग कर सकते हैं जन्हिं उनके प्रमाण पत्र के वैधता (२४ माह) और प्रमाण पत्र के प्रकार के अनुसार नरिदेश और अधिकार दिया गया हो।
3. ऊंचाई पर कार्य केवल तब किया जाएगा जब आपातकालीन स्थिति में तुरंत सहायता और मदद के लिए कोई अन्य व्यक्ति जमीन पर उपस्थिति हो।
4. ऊंचाई पर कार्य केवल नामति, उचति और मानक वयतगित सुरक्षा उपकरणों (पूरे शरीर के लिए हारनेस, ऐंकर सुरक्षा सेट, सुरक्षात्मक हेलमेट और सुरक्षा के लिए जूते) के साथ किया जाएगा।
5. नयिमानुसार, सीढ़ी के उपयोग का उद्देश्य एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने के लिए है और इसका उपयोग लंबे समय तक, भारी काम और/ अथवा ऐसे काम के लिए नहीं करना चाहिए जहां शरीर को सीढ़ी से दूर झुकाने की जरूरत पड़े।
6. कार्य के प्रकार के अनुसार ही उचति और मनाक सीढ़ी का उपयोग करें।

रेलिंग और बाड़

1. किसी मजदूर के गरिने की चतिा के कारण मचान/ बालकनी/ खुदाई/ शाफ्ट वाले स्थानों से रेलगि/ बाड़/ आवरण को तोड़ना बलिकूल मना है।
2. कार्य के उद्देश्य से हटाई गयी रेलगि/ बाड़ को कार्य के समाप्त होने पर तुरंत स्थापति किया जाये।
3. यदि किसी कार्य के लिए रेलगि/ बाड़ को हटाया गया हो और किसी कारण दो मीटर की ऊंचाई से गरिने का खतरा हो तो ऊंचाई से गरिने के बचाव के लिए उपकरण और सुरक्षा उपायों का उपयोग किया जाना चाहिए।

पर्यावरण संरक्षण

1. मट्टी, हवा, पड़ोसी इत्यादि सहति बाहरी वातावरण पर कार्य वातावरण का प्रभाव कम किया जाना चाहिए।
2. पर्यावरणीय खतरे जैसे धूल, मट्टी प्रदूषण, हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण इत्यादि को उत्पन्न होने से रोकें।
3. जतिना संभव होने सके, उतना कच्चे माल का पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण करना और मौजूदा कचरे के डब्बे के अनुसार कचरे को अलग करने का प्रयास करना चाहिए।

नरिमाण कार्य में जोखमि (कर्मचारी को संबन्धति वशिषज्जता के जोखमिों के बारे में वसितार से बताया और समझाया गया)

1. संरचनाओं का गरिना (समर्थन या सामाग्री)
2. गंदगी का भूसखलन
3. वस्तु के गरिने से चोट लगना
4. कर्मचारियों का ऊंचाई से गरिना
5. गयिर या उपकरणों को उठाने से चोट लगना
6. आगंतुक चोटें
7. सुरक्षात्मक गयिर की कमी के कारण चोटें लगना
8. अपर्याप्त रोशनी के कारण चोटें लगना
9. वदियुत संबन्धति जोखमि: अस्थायी बजिली प्रणाली के साथ कार्य करना, अनधकृत व्यक्ति का कार्य करना
10. हाथ दुवारा चालये जाने वाले या मोटर उपकरण: क्षतगिरिस्त या पर्याप्त उपकरण न होने पर चोट लगना

कर्मचारी के नाम का		आईडी/पासपोर्ट नंबर	
--------------------	--	--------------------	--

कर्मचारी के हस्ताक्षर		तारीख	
उपठेकेदार का नाम		प्रशक्षिक	